

गृह (गुप-6) विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर  
दिनांक 12/5/18  
3/5/18

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(7)गृह-9/2017

जयपुर, दिनांक:-

- 3 MAY 2018

### अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के भूमिगत पाईप लाईन बीना-कोटा के एसवी स्टेशन-5 (बरला), 6 (बामला), 7 (गुलाबपुरा) जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के भूमिगत पाईप लाईन बीना-कोटा के एसवी स्टेशन-5 (बरला), 6 (बामला), 7 (गुलाबपुरा) के स्टेशनों को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

### क्षेत्र का विवरण

क. स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	अटरु	बरला	1128/621	0.25	ख.नं. 62.1 1/6.55, 613/996/5. 20	ख.नं. 6.21/6. 55./621/0.55	ख.नं. 6.21/6. 55, 622/0.55	ख.नं. 6.21/ 6.55, 620/0.60
2.	बांरा	बामला	1751/397	0.26	ख.नं. 397/0. 21	ख.नं. 397/1674	ख.नं. 397/0.21	ख.नं. 396/1. 10
3.	अन्ता	गुलाबपुरा	288/88, 289/141	0.01, 0.26	ख.नं. 92/255, 92/268	ख.नं. 142, 142/273	ख.नं. 88	ख.नं. 140

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवड़ा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांरा।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. महाप्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मुम्बई मनमाड बिजवासन पाईपलाईन कोटा बीना पाईप लाईन बृजेशपुरा कोटा-325202।
- ✓6. उप शासन सचिव गृह गुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

3 MAY 2018  
शासन संयुक्त सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग